यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अध्यक्ष, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अध्यक्ष, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून** के माह 05/2018 से 11/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अभेन्दर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ), श्री मुकेश कुमार-II एवं श्री सुधीर कुमार सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 01-12-2020 से 10-12-2020 तक कु0 शैलजा पाण्डेय, सहायक महालेखाकर के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री रवीद्र जयंत, वरिष्ठ लेखापरीक्षक, श्री ललित थपलियाल एवं श्री पवन कोठारी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा श्री आर0 एस0 नेगी-I, वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 09/05/2018 से 18/5/2018 तक संपादित की गयी थी जिसमें 04/2004 से 04/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 05/2018 से 11/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः **अध्यक्ष, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून** का मुख्य कार्यकलाप आयोग द्वारा प्रदेश के विभिन्न विभागों के अंतर्गत समूह "ग" के पदों पर चयन प्रक्रिया संपादित करते हुए चयन संस्तुतियां सम्बन्धित विभागों को प्रेषित की जाती हैं।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) रू॰	बचत स्थापना (-) रू॰	बचत गैर स्थापना (-) रू॰
	स्थापना रू॰	गैर स्थापना रू॰	आवंटन रू॰	व्यय रू॰	आवंटन रू॰	व्यय रू॰			
2017-18	--	--	146.23	146.14	519.21	490.33	--	0.09	28.88
2018-19	--	--	207.64	190.28	1387.8	1344.34	--	17.36	43.46
2019-20	--	--	216.34	190.67	1402.9	1248.47	--	25.67	154.43
2020-21 (11/2020 तक)	--	--	222.99	139.98	854.2	675.21	--		-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	अधिक्य (+)/बचत(-)
2017-18		शून्य			
2018-19					
2019-20					
2020-21 (11/2020 तक)					

(iii) इकाई को बजट उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. मा0 अध्यक्ष 2. सदस्य प्रथम 3. सदस्य द्वितय 3. सचिव आदि .

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **अध्यक्ष, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून** (अनुपालन लेखापरीक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार जिन-जिन इकाईयों की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी उन्हें अंकित किया जाय) को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अध्यक्ष, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 02/2019, एवं 01/2020 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। राज्य सरकार से प्राप्त धनराशि का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय धनराशि के आधार पर किया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग II (ब)

<u>प्रस्तर:01-</u> मार्गदर्शन की प्रत्याशा में 21 अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया अधूरी रहना।

(अ) उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड में पुस्तकालय लिपिक के रिक्त पदों के लिए पद कोड़ 25 36 उप कोड 36 पद कोड़, के लिए शैक्षिक योग्यता सरकारी गजट उत्तराखण्ड के अनुसार 1 (i) इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष योग्यता (ii) केन्द्र राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण पत्र (iii) केन्द्र राज्य सरकार मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर का एक वर्षीय समकक्ष योग्यता डिप्लोमा।

अध्यक्ष, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून के परीक्षा अभिलेखों की नमूना जांच मे यह तथ्य प्रकाश में आया कि आयोग ने दिनांक 03 अगस्त 2016 में विज्ञप्ति दी जिसके लिए निदेशक उच्च शिक्षा ने पुनः 19 फरवरी 2018 को पुस्तकालय लिपिक के 25 रिक्त पदों के अधियाचन पर सीधी भर्ती हेतु सहमति व्यक्त की गयी जिसके लिए आयोग ने 22.04.2018 को लिखित परीक्षा आयोजित की गयी जिसके आधार पर दिनांक 20.07.2018 को अभिलेख सत्यापन हेतु श्रेणी, उपश्रेणी वार औपबंधिक श्रेष्ठता सूची जारी की गयी तथा दिनांक 09.08.2018 को अभिलेख सत्यापन का कार्य किया गया अभलेख सत्यापन में बुलाये गए 24 अभ्यर्थियों में से उक्त क्रम में केवल 03 अभ्यर्थियों के पास नियमावली, अधियाचन व विज्ञापन के अनुरूप अहर्ताएं थीं अभ्यर्थी की नियुक्ति हेतु संस्तुति की गयी तथा शेष 21 अभ्यर्थियों के पास अधियाचन व विज्ञापन के अनुरूप अर्हताएँ नहीं थीं थीं कुछ अभ्यर्थियों ने अवगत कराया था कि सभी विश्वविध्यालय एवं इनसे संबद्ध महाविध्यालय/ संस्थान पुस्तकालय विज्ञान में मात्र एक वर्षीय बी लिब, एम लिब कोर्स ही संचालित किए जा रहे हैं जिसमें पुस्तकालय विज्ञान पाठ्यक्रम को विस्तृत रूप में पढ़ाया जाता है। जिसके सम्बंध में उच्चादेश प्राप्त किए जाने चाहिए। 22 अक्टूबर 2018 में निदेशक, उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड ने पुस्तकालय लिपिक की अर्हता के सम्बंध में स्पष्ट किया कि किसी भी पद के लिए जो अर्हता निर्धारित होती है वह न्यूनतम अर्हता होती है उससे उच्च अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों को रखने में कोई प्रतिबन्ध नहीं है। पुस्तकालय लिपिक पद पर चयनित अन्य अभ्यर्थियों कि सूची भी तत्काल उपलब्ध कराएँ। लेकिन आयोग के द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा से निदेशक, उच्च शिक्षा से प्राप्त पत्र के सम्बंध में मार्ग दर्शन मांगा कि पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण पत्र कि अर्हता न रखें वाले किन्तु उससे उच्च अर्हता धारक की चयन संस्तुति नियमावली के प्रविधान के अनुरूप होगी।

उक्त से स्पष्ट था कि आयोग की उदासीनता के कारण मार्गदर्शन की प्रत्याशा में 21 अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया अधूरी थी, जिससे उन अभ्यर्थियों का भविष्य 02 वर्षों से

अधिक समय से चयन अधर में लटका हुआ था तथा उनको आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा था। आयोग की उदासीनता से आवेदनों की उचित जांच किए परीक्षा में सम्मिलित कार्य गया और आयोग को परीक्षा में हुये खर्च से बचा जा सकता था तथा यदि वे सही अहर्ता प्राप्त अभ्यर्थी थे उन 21 अभ्यर्थियों का चयन समय पर न हो पाने से वे उन 03 अभ्यर्थियों से दो वर्ष से अधिक अवधि के लिए उनसे वरिष्ठता सूची में नीचे होते जा रहे हैं। जिसमें लगभग 1091 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया जिसमें से 485 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर इकाई ने अवगत कराया कि निदेशक उच्च शिक्षा के पत्र के संबंध में प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड शासन से आयोग ने मार्ग दर्शन चाहा था जिसका कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि आयोग की उदासीनता के कारण मार्गदर्शन की प्रत्याशा में 21 अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया अधूरी पायी गयी थी। अभ्यर्थन पद के अनुरूप योग्यताधारी न होने के दृष्टिगत अभ्यर्थन निरस्त नहीं किया किया गया था जिसके लिए प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड शासन से आयोग ने मार्ग दर्शन चाहा था जिसका कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। अतः आयोग की उदासीनता के कारण मार्गदर्शन की प्रत्याशा में 21 अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया अधूरी रहने तथा अभ्यर्थियों पर धनराशि रूपये 4.36 लाख का निष्फल व्यय किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग दो (ब)</u>

<u>प्रस्तरः02-</u> डाटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए धनराशि रू. 4.18/- लाख का अनियमित भुगतान किया जाना।

कार्यालय संचालन के लिए सरचनात्मक ढांचा स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश संख्या:441/XXX(2)/14-03(01), दिनाकं 25.11.2014 के अवलोकन करने पर पाया गया कि शासन द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर हेतु 05 (पाँच) पद स्वीकृत किए गए थे तथा उक्त पांचों पदो के सापेक्ष, आयोग द्वारा परिशिष्ट-1 के अनुसार नियुक्ति की जा चुकी है।

परंतु, आयोग द्वारा सारणी-1 के अनुसार 05 डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पूर्ण भरे होने के बाद भी, श्रीमती शकुंतला रायल एवं श्रीमती बबीता, डाटा एंट्री ऑपरेटर को प्रांतीय रक्षक दल के माध्यम से नियुक्त कर वर्तमान तक रु 4,18,195/-का भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्नवत है

क्र. स.	कर्मचारी का नाम	समयावधि	भुगतान की गयी धन राशि	अभियुक्त
1.	श्रीमती शकुंतला रायल	मई, 2018 से जून 2019 तक	1,93,750/-	आउट सोर्स, प्रांतीय रक्षक दल के माध्यम से
2.	श्रीमती बबीता	जनवरी 2019 से अप्रैल 2020 तक	2,24,445/-	आउट सोर्स, प्रांतीय रक्षक दल के माध्यम से
	योगफल		4,18,195/-	

इस प्रकार, डाटा एंट्री ऑपरेटर को 4/2020 तक कुल धनराशि **रु0 4.18 लाख** का अनियमित भुगतान किया गया।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर **अध्यक्ष, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून** ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए बताया कि

"आयोग द्वारा राज्य के विभिन्न विभागो के अंतर्गत समूह "ग" के पदों पर भर्ती प्रक्रिया संचालित की जाती है, जिसके लिए विभिन्न परीक्षा केन्द्रों, कोषागार तथा संबन्धित जिला प्रशासन से आवश्यक समन्वय स्थापित करने के लिए आयोग से कार्मिको को विभिन्न जनपदों में भेजा जाता है, जो कि काफी श्रम साध्य कार्य है। उक्त कार्य करवाने के लिए कार्मिकों की आवश्यकता होती है। शासनादेश संख्या-441/दिनांक 25 नवम्बर, 2014 के द्वारा आयोग के निर्धारित ढांचे में 64 पदों की स्वीकृति प्रदान हुई है, जिसके सापेक्ष अभी तक मात्र 19 स्थायी अधिकारी/कर्मचारी ही आयोग कार्यालय में कार्यरत हैं। आयोग में विधि अनुभाग, अधियाचन अनुभाग, विधि अनुभाग, स्थापना अनुभाग, लेखा अनुभाग, परीक्षा

अनुभाग, गोपन अनुभाग तथा अति गोपन अनुभाग हैं, जहां पर महत्वपूर्ण कार्यों के निष्पादन के लिए निरंतर डाटा एंट्री ऑपरेटर की आवश्यकता बनी रहती है। इसी प्रकार आयोग में प्रति दिन कई अभ्यर्थी एवं अन्य आगन्तुक आते रहते हैं तथा दूरभाष पर आयोग से सम्बंधित अभ्यर्थियों की सैकड़ो काल्स आती रहती हैं, जिसके प्रत्युत्तर के लिए एक स्वागति की नितांत आवश्यकता बनी रहती है। आयोग द्वारा नितांत अस्थायी व्यवस्था के तौर पर आउटसोर्स के माध्यम से (पी.आर. डी.) तत्कालिक अत्यावश्यक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए मितव्ययता को ध्यान में रखकर डाटा एंट्री ऑपरेटर/ स्वागती के पदों पर नियुक्त किया था जिसमें से श्रीमती शकुंतला रायल को 1 जुलाई, 2019 से कार्यभार से मुक्त कर दिया गया था था श्री हेमंत कार्की को भी दिनांक 10 मई, 2020 को कार्यमुक्त कर दिये गए थे। वर्तमान में कु0 बबीता सहित कुल 5 डाटा एंट्री ऑपरेटर ही कार्यरत हैं तथा 64 स्वीकृत पदों के विपरीत 26 पद रिक्त हैं तथा आउट सोर्स सहित कुल 38 पदों पर ही अधिकारी/ कर्मचारी तैनात हैं। अतः रु0 5.28 लाख का भुगतान अनियमित नहीं बल्कि आयोग के अति महत्वपूर्ण कार्यों के सम्पादन हेतु व्यय किया गया है।"

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि डाटा एंट्री ऑपरेटर के स्वीकृत पदों (पाँच पद) से अधिक डाटा एंट्री ऑपरेटर आयोग में तैनात करने हेतु शासन से अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए था।

अतः बिना पद स्वीकृति के पाँच से अधिक (2 अतिरिक्त) डाटा एंट्री ऑपरेटर को धनराशि रु0 4.18 लाख का अनियमित भुगतान किए जाने सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

<u>भाग दो (ब)</u>

<u>प्रस्तरः03-</u> रु0 86,090/- (@10%) की टीडीएस कटौती किए बिना कुल रु0 8,60,900/- का भुगतान किया जाना।

आयकर अधिनियम, 1961 के सेक्शन 194J के अनुसार-

"(1) Any person, not being an individual or a Hindu undivided family, who is responsible for paying to a resident any sum by way of-
(*a*) fees for professional services,
(*b*) fees for technical services,
(*c*) royalty
(*d*) any sum referred to in clause (*va*) of section 28
shall, at the time of credit of such sum to the account of the payee or at the time of payment thereof in cash or by issue of a cheque or draft or by any other mode, whichever is earlier, deduct an amount equal to ten per cent of such sum as income-tax on income comprised therein"

कार्यालय उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि कार्यालय द्वारा अधिवक्ताओ को विशेषज्ञ-परामर्श सेवा हेतु बिना 10% टीडीएस कटौती (Section 194J of Income Tax Act, 1961 के अनुसार) के रु0 08,60,900/- का भुगतान किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है

निर्धारण वर्ष- 2019-20

क्र0 स0	**नाम**	**दिनांक**	**भुगतान की गयी धनराशि रु0 में**	**टीडीएस कटौती**
1.	पंकज पुरोहित	05/06/2018	1,79,800	0
2.	पंकज पुरोहित	06/02/2019	2,68,300	0
3.	एन.एस पुण्डीर	03/01/2019	1,73,000	0
	योगफल		6,21,100	0

निर्धारण वर्ष- 2020-21

क्र0 स0	**नाम**	**दिनांक**	**भुगतान की गयी धनराशि रु0 में**	**टीडीएस कटौती**
1.	पंकज पुरोहित	29/02/2020	3,83,150	7663
2.	पंकज पुरोहित	21/06/2019	2,39,800	0
	योगफल		6,22,950	

उक्त के अनुसार, कार्यालय द्वारा पंकज पुरोहित को विशेषज्ञ-परामर्श सेवा हेतु निर्धारण वर्ष 2019-20 में रु0 6,21,100/- का भुगतान बिना टीडीएस कटौती रु0 62,110/- (@10%) तथा निर्धारण वर्ष 2020-21 में रु0 2,39,800/- का भुगतान बिना टीडीएस कटौती रु0 23,980/- (@10%) के किया गया। जबकि निर्धारण वर्ष 2019-20 में, पंकज पुरोहित की कर योग्य आय रु0 8,45,600/- थी।

इस प्रकार, कार्यालय द्वारा पंकज पुरोहित को विशेषज्ञ-परामर्श सेवा हेतु कुल रु0 8,60,900/- का भुगतान बिना टी0डी0एस0 कटौती रु0 86,090/- (@10%) के किया गया।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर **अध्यक्ष, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून** ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए बताया कि

"विशेषज्ञों एवं अन्य परामर्शदात्री सेवाओं हेतु किए गए भुगतानों में आयोग द्वारा अनिवार्यतः टी0डी0एस0 की कटौती की जाती है। उपर्युक्त अधिवक्ताओं के बिलों से लिपिकीय त्रुटि के कारण टी0डी0एस0 की कटौती नहीं की जा सकी। **वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में आयोग द्वारा विशेषज्ञों एवं अन्य परामर्शदात्री सेवाओं को किए गए भुगतान की कटौती की गई है, जिसका फार्म 16A जारी किया गया है**, जिसकी प्रति संलग्न की जा रही है। इन अधिवक्ताओं द्वारा भी रिटर्न फ़ाइल की गयी, जिसमें कोषागार से धनराशि सीधे बैंक खाते में हस्तांतरित होने के कारण रिटर्न मे आय दर्शाई गई है तथा आयकर का भुगतान किया गया है। आयकर रिटर्न की प्रति संलग्न हैं। भविष्य में अनिवार्यतः विशेषज्ञों एवं अन्य परामर्शदात्री सेवाओं के भुगतान के समय टी0डी0एस0 कटौती कर ली जाएगी।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में आयोग द्वारा पंकज पुरोहित को किए गए कुल रु0 8,60,900/- के भुगतान से संबन्धित टीडीएस कटौती का 16A कोई उल्लेख नहीं है।

अतः आयोग द्वारा रु0 86,090/- (@10%) की टीडीएस कटौती किए बिना कुल रु0 8,60,900/- का भुगतान किए जाने संबंधी प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	अनुपूरक नमूना लेखा परीक्षा टिप्पणी
03/2018-19	01	01,02,03	--

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	लंबित अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
03/2018-19	भाग-II 'अ' प्रस्तर 1 एवं 'ब' प्रस्तर स0 1,2,3	'ब' प्रस्तर स॰ 01,02 निरस्त	भाग-II 'अ' प्रस्तर 1 एवं 'ब' प्रस्तर स॰ 03	शेष लम्बित अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या उच्च अधिकारियों से अनुमोदित नहीं करायी गयी एवं उसके साक्ष्य संलग्न नहीं किए गए थी।

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन किया जाय)

<u>भाग-V</u>

<u>आभार</u>

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अध्यक्ष, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**
   (i) शून्य
3. **सतत् अनियमितताएः**
   (i) शून्य
4. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र. सं.	**नाम**	**पद नाम**	**अवधि**
1	श्री संतोष बाडोनी	सचिव	05/2018 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अध्यक्ष, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (ए॰एम॰जी॰-I) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
ए.एम.जी.-I